रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-133**/2025/**1364**/22-2-2023-17(**254**)/2010**

लखनऊ: दिनांक: 19 **फरवरी, 2025**

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 व 2(छ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 07 अप्रैल, 2023 (विश्व स्वास्थ्य दिवस) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाल (बन्दी संख्या-36440) पुत्र श्री बोधे, निवासी- मोहददीनपुर, थाना-सिधौली, वर्तमान निवासी-भीखीपुर, थाना-अटरिया, जनपद-सीतापुर जिसे सत्र परीक्षण संख्या- 79/1985 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 436/149, 440/149, 307**/149,** 452 **के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04 सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 25.07.2002 मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2003 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2023 तक 25 वर्ष 00 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। सजा कारावास की अवधि में बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।**

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-133**/2025/**1364(1)**/22-2-2023-17(**254**)/2010, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।**
3- **पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in